



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अप्रैल, 1984

वैशाख 10, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

L विधायी अनुभाग-1

संख्या 941/सत्रह-वि०-1-1 (क)-27-1983

लखनऊ, 30 अप्रैल, 1984

अधिसूचना  
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 29 अप्रैल, 1984 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाओं द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1984]

(जसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अधिकतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा संक्षिप्त नाम जायगा।

अधिनियम संख्या  
21 सन् 1860  
की धारा 3 का  
संशोधन

धारा 3-क का  
संशोधन

2--सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 3 में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे।

3--मूल अधिनियम की धारा 3-क में--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 3 के अर्थ दिया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, दिये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 (जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र, उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस और पहले से संदत्त फीस के अन्तर का संदाय करने पर, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा";

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "दो वर्षों" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, खण्ड (क) में, शब्द "दस रुपये" के स्थान पर शब्द "पच्चीस रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(घ) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(4) प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के पश्चात् निर्वाचित प्रबन्ध निकाय के सदस्यों की सूची और वह प्रमाण-पत्र भी होगा जिसे नवीकृत कराना है जब तक कि रजिस्ट्रार उसकी हानि या उसके नष्ट हो जाने के आधार पर या किसी अन्य पर्याप्त कारण से इससे अभिमुक्त न कर दे।"

धारा 4 का  
संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"परन्तु यदि प्रबन्ध निकाय सूची के अन्तिम बार प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् निर्वाचित किया जाय, तो पुराने सदस्यों से सूची पर यथासम्भव, प्रतिहस्ताक्षर कराये जायेंगे। यदि पुराने पदाधिकारी सूची पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार स्वविवेक से ऐसी सार्वजनिक सूचना या ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें वह उचित समझे, सूचना जारी कर सकता है जिसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां आमन्त्रित की जायेंगी और वह उक्त अवधि में प्राप्त सभी आपत्तियों का विनिश्चय करेगा।"

धारा 12-घ का  
संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 12-घ में--

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(ग) रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण का प्रमाण-पत्र दुर्व्यपदेशन या कपट से प्राप्त किया गया है।"

(ख) उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसा आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से एक मास के भीतर उस मण्डल आयुक्त को प्रस्तुत की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता में सोसाइटी का मुख्यालय स्थित हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन आयुक्त का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।"

धारा 15 को  
संशोधन

6--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 15 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दिया जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(2) प्रत्येक सोसाइटी सदस्यों का रजिस्ट्रार रखेगी जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी जायेंगी जो विहित की जायें।"

धारा 20 का  
संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 20 में शब्द "या सोसाइटियां" और शब्द "विज्ञान" के बीच में शब्द "खादी और ग्रामोद्योग, पंचायत उद्योग, ग्राम्य विकास" बढ़ा दिये जायेंगे।

8—मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

धारा 24 का संशोधन

“(3-क) यदि रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति की राय में निरीक्षण या अन्वेषण के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है तो वह सोसाइटी के किसी या सभी अभिलेखों को जिसके अन्तर्गत लेखा बहियां भी हैं, अभिगृहीत कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसे अभिलेख अभिगृहीत किये जायें, उस व्यक्ति की उपस्थिति में जिसकी अभिरक्षा में ऐसे अभिलेख हों, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने का हक होगा।”

9—मूल अधिनियम की धारा 27 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

धारा 27 का संशोधन

“(क) धारा 4 या 4-क के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित प्रवचन निकाय की सूची या अन्य सूचना देने में असफल रहेगा या सूची या किसी विवरण-पत्र में या नियमों की या नियमों में परिवर्तन की प्रति में या उक्त धारा 4 या धारा 4-क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी गयी अन्य सूचना में कोई मिथ्या प्रवृत्ति या उससे लोप जानबूझ कर करेगा या करायेगा।”

श्री राजा से;  
गंगा वरुण सिंह,  
सचिव

No. 941(2)/XVII-V-1—1(Ka)27-1983

Dated Lucknow, April 30, 1984

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Societies Registration (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1984) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 29, 1984:

**THE SOCIETIES REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1984**

[U. P. ACT NO. 11 OF 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to further amend the Societies Registration Act, 1860 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1984.

Short title

2. In section 3 of the Societies Registration Act, 1860, hereinafter referred to as the principal Act, for the words “one hundred rupees” the words, “one hundred fifty rupees” shall be substituted.

Amendment of section 3

3. In section 3-A of the principal Act—

Amendment of section 3-A

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) Subject to the provisions of sub-section (2), a certificate of registration issued under section 3 shall remain in force for a period of five years from the date of issue :

Provided that a certificate issued before the commencement of the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1984 (hereinafter in this section referred to as the said Act), shall remain in force for a period of five years from the date of such commencement on payment of the difference of the fees specified under sub-section (3) and the fees already paid.”

(b) in sub-section (2), for the words, "two years", the words "five years" shall be substituted;

(c) in sub-section (3), in clause (a), for the words "ten rupees" the words, "rupees twenty-five" shall be substituted;

(d) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) Every application for renewal of the certificate shall be accompanied by a list of members of the managing body elected after the registration of the society or after the renewal of certificate of registration and also the certificate sought to be renewed unless dispensed with by the Registrar on the ground of its loss or destruction or any other sufficient cause."

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1) the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if the managing body is elected after the last submission of the list, the counter signatures of the old members, shall, as far as possible, be obtained on the list. If the old office bearers do not countersign the list, the Registrar may, in his discretion, issue a public notice or notice to such persons as he thinks fit inviting objection within a specified period and shall decide all objections received within the said period."

Amendment of section 12-D

5. In section 12-D of the principal Act —

(a) in sub-section (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) that the registration or the certificate of renewal has been obtained by misrepresentation or fraud."

(b) for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(2) An appeal against an order made under sub-section (1) may be preferred to the Commissioner of the Division in whose jurisdiction the Headquarter of the Society lies, within one month from the date of communication of such order.

(3) The decision of the Commissioner under sub-section (2) shall be final and shall not be called in question in any court."

Amendment of section 15

6. The existing section 15 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) Every society shall maintain a register of members giving such particulars as may be prescribed."

Amendment of section 20

7. In section 20 of the principal Act, after the words "established for the promotion of" and before the word "science", the words, "Khadi and Village Industry, Panchayat Industry, Rural Development," shall be inserted.

Amendment of section 24

8. In section 24 of the principal Act, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3-A) The Registrar or other person appointed under sub-section (1) may, if in his opinion it is necessary for the purpose of inspection or investigation, seize any or all the records including account books of the society :

Provided that any person from whose custody such records are seized shall be entitled to make copies thereof or to take extracts therefrom in the presence of the person having the custody of such records."

Amendment of section 27

9. In section 27 of the principal Act, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) fails to furnish the list of managing body or other information required to be furnished under section 4 or 4-A or wilfully makes or causes to be made a false entry in, or any omission from, the list or any statement or copy of rules or of alteration in rules or other information sent to the Registrar under the said section 4 or section 4-A."

By order,  
G. B. SINGH,  
Sachiv..